न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 179/2023 (635/2017)

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. सांवलाराम पुत्र मगनाराम 2. गोपाराम पुत्र मगनाराम 3. बाबूराम पुत्र मगनाराम 4. हुकमाराम पुत्र मगनाराम 5. राधादेवी पुत्री मगनाराम जाति प्रजापत निवासी– ग्राम धनवा, तहसील सिणधरी, बाडमेर।		1. ग्राम पंचायत कुण्डल जरिये सरपंच। 2. चूनाराम पुत्र मदरूपाराम 3. मालाराम पुत्र मदरूपाराम 4. मिसराराम पुत्र मदरूपाराम 5. बदाराम पुत्र मदरूपाराम 6. दीपाराम पुत्र मदरूपाराम जाति प्रजापत निवासी– ग्राम सरियादेवी नगर, कुण्डल, तहसील सिवाना, बाडमेर। 7. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे शाखा पादरू वर्तमान शाखा, एसबीआई, पादरू।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 13.11.2017 जो उपखण्ड अधिकारी, सिवाना के द्वारा राजस्व अपील संख्या 02/2015 अनवान सांवलाराम वगैराह बनाम ग्राम पंचायत वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्टगण बावजूद तामीली सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 18 जून, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस के द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत एक अपील प्रस्तुत पेश की कि मदरूपाराम पुत्र लखा कुम्हार की ग्राम सरिया देवी नगर, कुण्डल के ख0सं0 442, 463, 464, 468 की कुल 220.06 बीघा भूमि आई हुई है। खातेदार मदरूपाराम की मृत्यु दिनांक 25.3.2013 को हो जाने से रेस्पोडेन्टस द्वारा गलत सूचना देकर भूमि का नामा0 अपने नाम से करवा दिया और ग्राम पंचायत के

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

द्वारा उक्त नामा0 को मृतक खातेदार के वारिसान की सही जॉच न कर गलत तौर से स्वीकार कर दिया जो निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.11.2017 के द्वारा अपीलान्टस की प्रथम अपील को आधारहीन मानते हुए अस्वीकार कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह द्वितीय अपील दिनांक 27.12.2017 को न्यायालय में पेश की गई।

रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना तामीली के अनुपस्थित है। ऐसे में अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गई एकपक्षीय बहस को सुना गया। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि मूल खातेदार मदरूपाराम की एक पुत्री सुवटी थी जिसका विवाह मगनाराम के साथ हुआ है। मदरूपाराम के देहान्त उपरान्त उनकी जायदार में उनके सभी वारिसों को बराबर के अधिकार प्राप्त हुए परन्तु नामा0 स्वीकार करते समय ग्राम पंचायत ने वारिसों की बिना जॉच किये कार्यवाही कर दी गई एवं मृतक पुत्री सुवटी के वारिसों के नाम दर्ज ही नहीं किये गये। मदरूपाराम की अन्य पुत्रियों द्वारा अपने भाईयों के पक्ष में हकतर्कनामा निष्पादित करते समय मृतक सुवटी का नाम जानबुझकर वंश वृशावली में नहीं लिखा गया केवल इसी कारण यह नहीं माना जा सकता कि मृतका मदरूपाराम की पुत्री न हो।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि विरासत का नामा भरते समय मृतक खातेदार को उत्तराधिकारियों के बारे में विस्तृत जॉच करने का कानूनी प्रावधान है, परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की थी, ऐसी परिस्थितियों में प्रथम अपीलीय न्यायालय का दायित्व था कि वे मृतक मदरूपाराम के सभी विधिक वारिसानों की जॉच करने के उपरान्त नये सिरे से नामा0 दर्ज करने हेतु प्रकरण को तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया जाता। इसके अतिरिक्त प्रथग अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से ही स्पष्ट हो जाता है कि पक्षकारान के साथ न्याय करने की कोई मंशा नहीं रही है और सरसरी तौर पर आदेश पारित कर दिया गया। रेस्पोडेन्टस के द्वारा अपने स्वार्थवश सुवटी को मदरूपाराम की पुत्री होने से नकार दिया गया। इस बाबत अपीलान्टस के द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष सुवटी का मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेश किया गया था जिससे स्पष्ट हो रहा है कि सुवटी के पिता एवं माता कौन रही है। हम अपीलान्टगण सुवटी के वारिसान है। ऐसे में मदरूपाराम के फौत होने पर उनके पुत्रों के साथ उनकी पुत्रियों के हक हिस्से में आ रही भूमि में वे भी विधि अनुसार अपना हक–अधिकार रखते हैं और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्टस भी मृतक खातेदार मदरूपाराम के निम्न श्रेणी के वारिसान है जिनका नाम भी मृतक खातेदार की फौतेदगी उपरान्त राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने योग्य था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत के द्वारा फौतेदगी नामा0 स्वीकृत करते समय न तो मदरूपाराम के तत्समय जीवित एवं विधिक वारिसान की और न ही आम जनता से इस बाबत जानकारी ली गई और न ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, ग्राम पंचायत ने मात्र अपने स्वविवेक के आधार पर मदरूपाराम के पुत्रों की ओर से अपने पक्ष में नामा0 की कार्यवाही करने हेतु पटवारी व ग्राम पंचायत सरपंच से मिलीभगती करते हुए अन्य बहनों से हकतर्क करवाते हुए नामा0 संख्या 463 दिनांक 5.4.2015 को स्वीकार कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य था।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त सभी प्रकार की परिस्थितियों एवं मृतक खातेदार मदरूपाराम के देहान्त के पश्चात श्री मदरूपाराम के विधिक वारिसान/उत्तराधिकारियों की वंशावली प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के बावजूद भी प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपीलान्टस की प्रथम अपील को बिना कोई कारण दर्शाये ही अस्वीकार कर दिया जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जाकर नामा0 संख्या 463 दिनांक 5.4.2015 को निरस्त किया जावे तथा मृतक खातेदार मदरूपाराम की भूमि के राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट के साथ अपीलार्थीगणों का नाम भी बतौर उत्तराधिकारी दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

हमने अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि पक्षकारान के पूर्वज श्री मदरूपाराम पुत्र लखा कुम्हार की ग्राम सरिया देवी नगर, कुण्डल के ख0सं0 442; 463, 464, 468 की कुल 220.06 बीघा भूमि आई हुई है। खातेदार मदरूपाराम की मृत्यु दिनांक 25.3.2013 को हो जाने पर उक्त भूमि का फौतेदगी नामा0 संख्या 463 ग्राम पंचायत कुण्डल के द्वारा मदरूपाराम के पुत्रों के नाम दर्ज करते हुए मदरूपाराम की 02 पुत्रियों की ओर से उनके पक्ष में अपना हिस्सा हकतर्क किये जाने के आधार स्वीकृत किया जाना रेकर्ड के अवलोकन से प्रतीत होता है। उक्त फौतेदगी नामा0 की कार्यवाही के समय मदरूपाराम के एक अन्य तीसरी पुत्री (मृतक) सुवटी भी होना तथा वर्तमान अपीलान्टस श्रीमती सुवटी के पुत्र/पुत्री होना श्रीमती सुवटी के जारी

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

मृत्यु प्रमाण पत्र तथा सरपंच ग्राम पंचायत धनवा के द्वारा उक्त वंशावली को प्रतिहस्ताक्षरित करने से प्रकट होता हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त फौतेदगी नामा0 को मृतक खातेदार के वारिसान की सही जॉच न कर एवं अपीलान्टस को अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही स्वीकृत किया जाना पाया गया है जो विधि अनुकूल पारित नहीं किया गया है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक खातेदार मदरूपाराम की खातेदारी भूमि में अपीलान्टस का भी हक–हिस्सा निहित होने के कारण उनका नाम राजस्व रेकर्ड में अन्य वारिसान के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया जाना पाया गया है ऐसे में अपीलाधीन नामा0 को यथावत बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं रहेगा। हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा0 संख्या 463 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार सिवाना को नये सिरे से फौतेदगी नामा0 की कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।.

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, सिवाना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2017 को एवं ग्राम पंचायत कुण्डल के द्वारा पारित नामा0 संख्या 463 ग्राम सरियादेवी नगर को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सिवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार स्व0 श्री मदरूपाराम के सभी विधिक वारिसान की जॉच करे तत्पश्चात सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त नियमानुसार पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। निर्णय आज 18 जून, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
जोधपुर